7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 (वि०), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमो व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

9.योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 वि०(2) दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

10. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

11. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत है।

12. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025........................../पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025........................../पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025........................../पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि:–प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025........................../पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि:– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025........................../पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि:–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025 244 /पटना, दिनांक:– 29/07/26

प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–अ०सं०क०–10 (WVY)–28/2025 ....

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इबरार अहमद खाँ भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांकः–

विषय :– बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत बीबी नजीरन वक्फ इस्टेट सं०–524, बड़हरिया, जिला–सिवान की भूमि पर चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹262.41 लाख (दो करोड़ बासठ लाख इकतालिस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि ₹53.00 लाख (तिरपन लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत बीबी नजीरन वक्फ इस्टेट सं०–524, बड़हरिया, जिला–सिवान की भूमि पर चहारदीवारी निर्माण कार्य के उद्देश्य बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से निबंधित औकाफ की विकास हेतु आय–सृजक एवं जन उपयोगी संरचनाएं जैसे वक्फ भूमि की घेराबंदी एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा BCD SOR 2022 के दरों के आधार पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹262.41 लाख (दो करोड़ बासठ लाख इकतालिस हजार) रूपये मात्र को विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं०–190, दिनांक–30.06.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते राशि ₹40.00 लाख एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–601 दिनांक–26.12.2025 द्वारा राशि ₹50.00 लाख अर्थात राशि ₹90.00 लाख की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्तालोक में बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में बीबी नजीरन वक्फ इस्टेट सं०–524, बड़हरिया, जिला–सिवान की भूमि पर चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹262.41 लाख (दो करोड़ बासठ लाख इकतालिस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में राशि ₹53.00 लाख (तिरपन लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि बजट मांग संख्या–30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएं–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–0107–वक्फ सम्पति के रख–रखाव सुरक्षा तथा संवर्द्धन विषय शीर्ष–31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड–30–2250008000107 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

4. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC- 46 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। उक्त राशि की निकासी कर WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/O BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA का पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA029 में लेजर का नाम-Waqf Vikas Yojana, लेजर आई०डी०सं०–13815 में CFMS द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को अंतरित करेंगे। अंतरण के पश्चात CFMS की अंतरण प्रति वक्फ प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

6. उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1203, दिनांक–14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देषिका के अन्यत्र यथा कर्मियों का वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०......